तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2003/1941/भरतपुर** **सरकार बनाम बीधा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.24	**एकलपीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी **–आदेश–** यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 27–02–2003 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, कामां ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम वोलखेड़ा तहसील कामा के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.92 में स्थित है। जिसका प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। जोकि जमाबन्दी संवत् 2052–55 व अन्य दस्तावेजी रिकार्ड में गैर मुमकिन नला दर्ज रही है। जो नामान्तरकरण संख्या 1064, 1135, 1136 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम जरिये आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय दिनांक 02–08–2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी की खातेदारी में दर्ज हो गई हो तो उक्त किस्म की भूमि को वापस राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। अतः रेफरेंस मंजूर किया जाकर उक्त भूमि को पुनः गैर मुमकिन नला दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–02–2003 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को अनुशंषा के साथ प्रेषित किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकार को नोटिस जारी किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आए। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय सुनी गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2003/1941/भरतपुर** **सरकार बनाम बीधा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नाले की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि की किस्म पुनः नला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख कि वादग्रस्त भूमि ग्राम वोलखेड़ा तहसील कामा के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.92 में स्थित है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.92 भूमि जिसका प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। जोकि जमाबन्दी संवत् 2052-55 के कॉलम संख्या 7 में कृषि भूमि वर्गीकरण गैर मुमकिन नला अंकित है। जिससे ये स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं होकर गैर मुमकिन नला दर्ज रही है। चूँकि राजस्व अभिलेख से विवादित भूमि की किस्म पूर्व में नला होना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। इस संबंध में विधि में उपलब्ध ऐसी भूमियों के आवंटन/नियमन/हस्तान्तरण के संबंध में दिए गये प्रावधानों का अवलोकन किया। इस बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः-

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(i) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2003/1941/भरतपुर** **सरकार बनाम बीधा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि चारागाह/अंगोर/पायतन/नदी/नाला/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी श्री अब्दुल रहमान बनाम राज्य शासन निर्णय दिनांक 02-08-2004 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया हैः-

> "All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.
>
> ----In the Government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. "

इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी चारागाह, अंगोर, पायतन, नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकने के बावजूद भी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी का नाम दर्ज नियमों के विपरीत किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् आवंटन/नियमन/ हस्तातंरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि विवादित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व ;कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटनद्ध नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते है। विवादित भूमि बाबत् की गई कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2003/1941/भरतपुर** **सरकार बनाम बीधा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 के परिप्रेक्ष्य में भी अविधिक है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम वोलखेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1064, 1135, 1136 निरस्त किया जाकर आराजी जैर के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.92 भूमि के बाबत् राजस्व रिकार्ड यथा जमाबंदी में अप्रार्थी के खातेदारी के अंकन को हटाया जाकर आराजी जैर को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते है। आदेश की सूचना योग्य उप राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कमला अलारिया) सदस्य	